न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 773/2018/प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 18.07.2018	तारीख फैसला 10.06.2019

उनवान

1. केदारमल पिता सुखदेव जाट निवासी बच्छखेड़ा तह0 शाहपुरा
2. सीताराम पिता सुखदेव जाट निवासी बच्छखेड़ा तह0 शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रहलाद पिता बन्ना जाट निवासी बच्छखेड़ा तह0 शाहपुरा
2. शाखा प्रबन्धक आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा बच्छखेड़ा तह0 शाहपुरा
3. तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवांड़ा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251 (ए) आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री अक्षयराज रेबारी : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा0टी0ए0 विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम बच्छखेड़ा पटवार हल्का बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा में प्रार्थीगणों के खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या 76 किता 12 कुल रकबा 3.30 हैक्टेयर स्थित होकर संयुक्त होकर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। कुलिया आराजियात में से आराजी नम्बर 2276 रकबा 0.65 हैक्टेयर भूमि में आने–जाने व भूमि को काश्त करने हेतु ट्रैक्टर आदि ले जाने के लिए विगत कई वर्षो से आराजी नम्बर 1388 जो बिलानाम भूमि है। उससे होकर आ जा रहे है तथा अपनी फसल को काश्त करते चले आ रहे है। उक्त बिलानाम आराजी पर विपक्षी नम्बर 1 प्रहलाद जाट ने जबरन एवं ताकत के बल पर कब्जा करते हुये प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते को बिल्कुल अवरूद्व कर दिया है तथा वर्तमान में काश्त का समय है। यदि उक्त बिलानाम आराजी से प्रार्थीगण को नया रास्ता उपलब्ध नही कराया गया तो प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी काश्त नही कर पायेंगे। प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2276 में आने जाने हेतु आराजी को काश्त करने हेतु आराजी नम्बर 1388 में से होकर जाने वाले रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण काश्तकार है। उनका जीवन कृषि पर ही आधारित है एवं रास्ते के अभाव में भूमि काश्त नही होने पर भूखों मरने की नौबत आ जायेगी। विपक्षी नम्बर 2 के यहां भूमि रहन होने से पक्षकार बनाये गये है एवं विपक्षी नम्बर 3 लैण्ड हॉल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमातें हुये आराजी नम्बर 2276 में आने–जाने व फसल काश्त करने हेतु एवं ट्रैक्टर आदि व अन्य साधन लाने–ले जाने हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 1388 की पूर्वी मेर पर 30 फीट चौड़ा नया रास्ता दिलाए जाने का रास्ता प्रदान करावें। उक्त रास्ते बाबत् प्रार्थीगण डी0एल0सी0 राशि जमा कराने का आदेश प्रदान करते हुये रास्ते का इन्द्राज करते हुये नक्शे में भी स्थायी रूप से रास्ता दर्ज करने का आदेश बक्षावें।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 18.09.2018 को विपक्षीगण 1, 2 बावजूद सम्मन तामिल उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

नही हो से एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी नम्बर 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। तहसीलदार शाहपुरा से प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार शाहपुरा ने उनके पत्र क्रमांक 73 दिनांक 31.02.2019 से मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भू–अभिलेख निरीक्षक बच्छखेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बच्छखेड़ा प्रार्थीगण के संयुक्त खाते की आराजियात ग्राम बच्छखेड़ा खाता संख्या 76 कुल किता 12 रकबा 3.30 हेक्टेयर स्थित होकर आराजी नम्बर 2276 रकबा 0.65 हैक्टेयर में आने–जाने में व भूमि काश्त करने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। कई वर्षों से आराजी नम्बर 1388 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि, जो बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में प्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग में आ रही है। किसी अन्य खातेदार की भूमि प्रभावित नही हो रही है। प्रार्थीगण के आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थिगण को 15 फिट चौड़ाई एवं 306 फिट लम्बाई कुल 4590 वर्ग फिट भूमि बनती है, यानि 0.04 हैक्टेयर जिसकी डी0एल0सी0 दर 0.04 X 1,10,313 = 4412.52 X 2 = 8825 रूपये बनते है। जो राजकोष में जमा होंगे। उपरोक्तानुसार बिलानाम भूमि में से प्रार्थीगण को रास्ते हेतु भूमि दिये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा0टी0ए0 विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बच्छखेड़ा पटवार हल्का बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा मे स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी 2276 रकबा 0.65 हैक्टेयर भूमि मे आने जाने हेतु ग्राम बच्छखेड़ा की आ0न0 1388 रकबा 0.17 है0 बिलानाम काबिल काश्त किस्म बंजड़ मे से 15 फिट चौड़ाई एवं 306 फिट लम्बाई कुल 4590 वर्ग फिट भूमि बनती है, यानि 0.04 हैक्टेयर जिसकी डी0एल0सी0 दर 0.04 X 1,10,313 = 4412.52 X 2 = 8825 रूपये बनते है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जरिये चालान जमा करा रसीद तहसीलदार शाहपुरा के यंहा प्रस्तुत करने पर उपरोक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड मे सार्वजनिक उपयोग हेतु रास्ता दर्ज किये जाने व नक्शे मे तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त रास्ते पर प्रार्थीगण का मालिकाना हक नही होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 10.06.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)